IN THE COURT OF PRINCIPAL DISTRICT & SESSIONS JUDGE, SITAMARHI

Dated, Sitamarhi, 5 -06 -2026

Present:- Akhilesh Kumar Jha, Principal District & Sessions Judge

A.B.P. No.- 639/2026

Sushila Choudhary &or…………………………..Petitioner.

Vrs.

State of Bihar…………………………….… Respondent.

For the Petitioner : Sri Ajay kumar II Advocate.
For the State : Sri Prafful kumar Jha, P.P. I/C

Date of Order or Proceeding	**Order with the signature of the Court**	Office action taken with date
5-06-26	अभियुक्त 1. सुशीला देवी 2. सुधा देवी उर्फ अंजली चौधरी जो चोरौत थाना कांड सं0 34/26 में 126(2), 115(2), 109, 351(2), 352, 76, 3(5) बी0एन0एस0 की अंतर्गत धारा में अभियुक्त है, व जिन्हें गिरफ्तारी की आशंका है की तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन उनके विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान लोक अभियोजक को सुना। आवेदिकागण के विद्वान अधिवक्ता और प्रभारी लोक अभियोजक को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदिकागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि आवेदिकागण बिलकुल निर्दोष है। आवेदिकागण पर लगाया गया सारा आरोप झूठा बनावटी एवं आधारहीन है। आवेदिकागण को इस वाद में त्रुटिपूर्ण रीति से फंसाया गया है। आवेदिकागण किसी भी प्रकार के किसी घटना कारित नहीं किया हैं। आवेदिका सुशीला देवी जो चौरौत थाना कांड सं0 148/24 है, जिसमें वह जमानत पर है। आवेदिका सुशीला देवी के पति दो भाई हैं विशिष्ट चौधरी तथा स्व0 दशरथ चौधरी थे। उक्त दशरथ चौधरी के पुत्र गोपाल चौधरी , रंजन चौधरी तथा मनीष चौधरी है। स्व0 दशरथ चौधरी के पुत्र एवं आवेदिकागण के बीच पूर्व से विवाद हैं इस कारण आवेदिकागण की ओर से चौरत थाना कांड सं0 149/24, 41/25 एवं 54/25 तथा परिवाद पत्र सं0 7/25 दाखिल किया। इसी से क्षुब्ध होकर सूचक ने	

5-6-26	यह झूठा वाद संस्थित करा दिया। इस वाद में अन्य आवेदकगण को जमानत आवेदन सं0 286/26 से जमानत मिल चुका हैं । आवेदिकागण यथोचित बंधपत्र दाखिल करने को तैयार है। अतः आवेदिकागण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए। विद्वान लोक अभियोजक द्वारा आवेदिकागण के जमानत का विरोध किया गया। उनके द्वारा कथन किया गया कि आवेदिकागण एवं सूचक दोनों एक ही गांव के है। कांड दैनिकी के कंडिका 2 में वादिनी का पुनः बयान हैं, कांड दैनिकी के कंडिका 7,8,31, में साक्षियों का बयान है। जिसमें सभी साक्षियों ने घटना का समर्थन किया है। कांड दैनिकी में रेखा देखी का जख्म प्रतिवेदन है जिसमे रेखा देवी का जख्म साधारण प्रकृति का है एवं रंजन चौधरी पर सात जख्म पाए गए जिसमें से एक जख्म गंभीर प्रकृति का पाया गया। आवेदिकागण के अग्रिम जमानत का विरोध करते है। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि यह वाद सूचिका सुनिता देवी के लिखित आवेदन पर संस्थित हुआ है। सूचिका ने अपने लिखित आवेदन में कथन किया है कि सूचिका एवं उनका देवर रंजन चौधरी दुर्गा चौक पर अपना किराना का दुकान चला रही थी। तभी वहां पर रौशन चौधरी , रूपेश चौधरी , राजेश मिश्र, पुष्पा देवी, अनुराग कुमार , वशिष्ठ चौधरी सभी धारदार हथियार, डंडा, फरसा एवं चाकू लेकर सूचिका के दुकान पर पहुंचा, वशिष्ट चौधरी बोला पिछला बार साला बच गया था इस बार इसका मर्डर कर दो, इतना कहने पर रौशन चौधरी एवं रूपेश चौधरी दोनों फरसा लेकर राजेश मिश्र रड, लेकर पुष्पा देवी लाठी लेकर अनुराग कुमार चाकू लेकर जान मारने की नीयत से लगातार सूचिका के देवर रेजन चौधरी पर हमला करके जख्मी कर दिया एवं सूचिका को दुकान से धसीट कर मारने लगा एवं राजेश मिश्र बोलने लगा मादर चोद दुशाधनी को बलत्कार करो और वह कपड़ा फारने लगा। इसी क्रम में रौशन चौधरी की पत्नी सुधा देवी एवं वशिष्ट चौधरी की पत्नी सुशीला देवी दोनों मिलकर पीटने लगे। मारपीट के कम में रौशन चौधरी अपने हाथ में रखे फरसा के उल्टा साईड से सूचिका के देवर रंजन चौधरी के बांह पर वार किया जिससे दाहिना हाथ टूट गया एवं रूपेश चौधरी अपने हाथ में रखे फरसा से उनके पैर पर ताबरतोर वार किया, जिससे पैर	

5-6-26

बुरी तरह फैक्चर हो गया, बचाने के लिए सूचिका जोर जोर से चिल्लाई हल्ला पर ग्रामीण लोग आ गए। सभी अपने अपने घर में धुसकर गेट बंद कर लिए तब सूचिका का देवर रंजन चौधरी बेहोश हो गया। इलाज के लिए चौरोत अस्पताल ले गए। वहां से बेहतर इलाज के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया।

अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि अवेदिकागण एवं सूचिका दोनों एक ही गांव के है। आवेदिकागण महिला है एवं इन पर सूचिका को मारने का आरोप है, सूचिका के जख्म प्रतिवेदन के अनुसार उसके जॉध और कंधा में Abrasion साधारण जख्म है। जख्मी रंजन चौधरी को सात जख्म कारित हुआ जिसमे ंसे एक बांह की कलाई जख्म (Pain swelling) गंभीर प्रकृति पाया गया है एवं अन्य जख्म साधारण प्रकृति का हैं जो जख्म वह संवेदनशील स्थान पर नहीं पाया गया हैं। सभी जख्म कठोर एवं भोथरे पदार्थ से कारित होना बताया गया है।

अतएव उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण आरोप की प्रकृति एंव संपूण बिन्दुओं विचार करने के पश्चात् नामित आर्वेदाकगण 1. सुशीला देवी 2. सुधा देवी उर्फ अंजली चौधरी का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है। विद्वान विचारण न्यायालय में आदेश की प्रति प्राप्त होने के चार सप्ताह के अन्दर गिरफ्तार किए जाने तथा आत्मसमर्पण किए जाने पर धारा 482 (2)बी0एन0एस0 के शर्तो के अधीन 10,000 रू0 (दस हजार) रूपया की समान धन राशि के दो प्रतिभूओं सहित बंधपत्र दाखिल करने पर विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है ।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

ह0/–

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीतामढ़ी

दिनांक– 5.6.2026

Date of Judgement / Order-	5-6-2026
Date of Reserving	5-6-2026
Uploading Date-	08.06.2026
Uploaded by	पुरूषोतम कुमार